हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर पधारे है।अतःपत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/1/21 को पेश हो।	
14/1/21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर पधारे है।अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/1/21 को पेश हो।	
23/1/21 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आये। प्रतिवादी वकील अथवा स्वयं के उपस्थित नहीं आये। बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं प्रतिवादी वकील को Exparty किया जाता है वकील वादी को एक पक्षीय [illegible] जिसमें कोई रिपोर्ट [illegible] आई। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 01/02/21 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित आये। [illegible] 11/4/15 के [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता है तथा [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां पदेन सहायक कलक्टर(भरतपुर)
व इजलास श्री सुरेश कुमार यादव R.A.S.

मुकदमा नं0. 47/18 राजस्व वाद

बनाम

1. राज पत्नि सुरजीत सिंह
2. राजकुमार पुत्र सुरजीतसिंह
3. नरेश पुत्र सुरजीतसिंह
4. गीता पुत्री सुरजीतसिंह
जातियान खत्री निवासीयान कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर
वादीगण

बनाम

1– दिलीप कुमार अरोडा करतार जाति खत्री निवासी दीपएम्पोरियम नगरपालिका कामां के पास कामां तहसील कामां जिला भरतपुर
प्रतिवादीगण

2 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कामां
फोरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.Act

दिनांक

निर्णय

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 188 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 589/0.44, 685/0.15, 1769 / 781/0.33, 2119/688/0.12, किता 4 रकवा 1.04 वाके ग्राम नन्देरावास तहसील कामां की आराजी है । बादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है । आराजी मुतनाजा को वादी प्रतिवादी वाहिस्सा बराबर अरसा दराज से काश्त करते चले आ रहे हैं जिस पर वादी प्रतिवादी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है लेकिन हम दोनों पक्षों में सामलात में काश्त करना सम्भव नहीं रह गया है । जुताई बुबाई कटाई आदि के अवसर पर हममे विवाद वन जाता है । इसलिए हम दोनो पक्षों वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 में अच्छी में से अच्छी व बुरी में बुरी आराजीके कुर्रेजात बनवाये जाकर बंटवारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 को मौके पर राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करने को कहा तो उसने कतई इन्कार किया जबकि पहले उसने बटवारे के लिए हां कर रखी थी दिनांक 26.06.2018 को बटवारा करने की कहने पर उसने एलनिया धमकी की कि मै आराजी ख0नं0 589/0.44, 685/0.15, 1769 / 781/0.33, 2119/688/0.12, किता 4 रकवा 1.04 वाके ग्राम नन्देरावास

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

Scanned with CamScanner

र्क कि-

एवं कीमती है उसको मै बेचकर ही रहूंगा और दीगर व्यक्तियों को कब्जा सौप दूंगा । वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की सम्मिलित कब्जेकाश्तम खातेदारी की आराजी भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है । मुताबिक हिस्सा 1/2 के अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रेजाता बनाये जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाते व अलग अलग राजस्व लगान कायम कराये जावे । वादीगण के 1/2 हिस्से की कब्जे काश्त हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा न करें तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर बेदखल ना करें एवं बिना बटवारा कराये आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1769/781/0.33 सालिम रकवे का और ना ही अन्य आराजी मुतादाविया के किसी भी नम्बर में से किसी भी भाग का जमीनी सौदा करके बेचान ना करें व दीगर लोगों को कब्जा नाजायज ना कराये तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये तथा ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हकूक वादीगण जायल हों ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जा कर दावा की जबाव देही हेतु प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। आराजी खसरा नम्बरान आराजी ख0नं0 589/0.44, 685/0.15, 1769 / 781/0.33, 2119 / 688/0.12, किता 4 रकवा 1.04 वाके ग्राम नन्देरावास के मुताबिक रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे बनाये जाने पर सहमति व्यक्त किये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तावेज का मनन किया तथा आराजी खसरा नम्बरान आराजी ख0नं0 589/0.44, 685/0.15, 1769 / 781/0.33, 2119 / 688/0.12, किता 4 रकवा 1.04 वाके ग्राम नन्देरावास के मुताबिक रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे बनाये जाने की सहमति [illegible]ने पर प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार कामां को लिखा जाना उचित है ।

अतः आदेश है कि -

आराजी खसरा नम्बरान आराजी ख0नं0 589/0.44, 685/0.15, 1769 / 781/0.33, 2119 / 688/0.12, किता 4 रकवा 1.04 वाके ग्राम नन्देरावास के मुताबिक रिकार्ड व मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुर्रे बनाये जाने इस आशय की प्राथमिक डिकी तैयार कर तहसीलदार कामां को लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 4/02/19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कामां

Scanned with CamScanner